संख्या-35/2024/2132/002-23-6099-099-264-2024

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 26 दिसम्बर, 2024

विषय- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत पण्डित दीनदयाल उपाध्याय योजनान्तर्गत आजमगढ मण्डल में आजमगढ जनपद के 01 चालू कार्यों पर धनराशि आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र (निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार पं० दीनदयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजनान्तर्गत **आजमगढ मण्डल** में आजमगढ जनपद के 01 चालू कार्य हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित शासनादेश द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 में तालिका के स्तम्भ-11 के अनुसार रुपये 25,79,000/- (रूपये पच्चीस लाख उन्यासी हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	मुख्य अभियंता(मु0-1) लो0नि0वि0 का पत्र	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत प्राविधिक लागत	बचत	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	प्राविधिक स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष	क्षेत्र से मांग	वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रस्तावित धनराशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	10970/CE-HQ1/PDDUY/AZM/2024-25, दि0 26-10-2	आजमगढ	आसूत मिर्जापुर फुलवरिया मार्ग से	38/2023/206/23-9-23/001-23-9002-002-	33.90	7.12	32.91	0.99	32.91	25.79	25.79

http://shasanadesh.up.gov.in

	024		डण्डवा मुस्फाबाद अनु0 बस्ती (महेन्द्र प्रजापति के घर से सूर्यबली राम के घर तक) मार्ग के नवनिर्माण कार्य।	7-2023, दि0 23-02-2023	33.90						
										योग	**25.79**

<u>नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों</u>

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त मार्गों को निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापूरकपूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(3) स्तम्भ-5 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2023, दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डीडी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 केशासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(6) चालू कार्य की अवशेष धनराशि इस शर्त के अधीन है कि यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि पूर्व में अवमुक्त नहीं हुई है। यदि कोई विसंगति/द्विरावृत्ति पायी जाती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 25,79,000/- (रूपये पच्चीस लाख उन्यासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054043379600 पं दीनदयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजना के अन्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं हेतु अनजुडे ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गो से जोडने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों/लघु सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य**) मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शिव कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-35/2024/2132(1)/002-23-6099-099-264-2024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार, प्रथम (निर्माण) उ0प्र0 प्रयागराज।

2-जिलाधिकारी, संबंधित जनपद ।

3-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।

4-नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

5-निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।

6-मुख्य अभियंता (मु०-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

7-वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

8-संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

9-संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

10-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

11-लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2।

12-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in